



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

25 अक्टूबर 2024

यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी के प्राधिकरण प्रमाणपत्र का निरसन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित भुगतान प्रणाली परिचारक (पीएसओ) के प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) को निरस्त कर दिया है:

क्रम सं.	संस्था का नाम	पंजीकृत कार्यालय पता	सीओए सं. और तिथि	प्राधिकृत भुगतान प्रणाली	निरसन की तारीख	निरसन का कारण
1.	यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईईसी)	यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी, पी.ओ. नं. 13304, नासर बिन अब्दुल लतीफ़ बिल्डिंग नाइफ़ स्ट्रीट डेरा, दुबई, यू ए ई	सं. 16/2009 दिनांकित 30 सितंबर 2009	धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश (एमटीएसएस मास्टर निदेश) के अंतर्गत 'समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण परिचारक (ग्राहक से ग्राहक)।	10 अक्टूबर 2024	विनियामक अपेक्षाओं का अननुपालन

सीओए के निरसन के बाद, यूएईईसी, [धन अंतरण सेवा योजना संबंधी मास्टर निदेश](#) के अंतर्गत 'समुद्रपारीय प्रिंसिपल' के रूप में सीमापारीय इन-बाउंड धन अंतरण का कारोबार नहीं कर सकते।

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1371

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक